Statement

Details of amount disbursed to the State of Bihar scheme-wise during the year 1994-95, 1995-96 and 1996-97.

Amount disbursed (Rs. in lakhs)

Sl. No.	Name of Scheme	1994-95	1995-96	1996-97	
1.	Pre-examination Coaching for Weaker Section based on economic criteria	15.00	15.00	Nil	
2.	Multi Sectoral Development Plan	*	3.00	Nil	
3.	National Minorities Development and Finance Corporation	Nil	Nil	Nil	
4.	Area Intensive Programme for Educationally Backward Minorities	Nil	Nil	Nil	These scheme are being run by the Deptt. of Education.
5.	Modernisation of Madarasa Education	Nil	Nil	44.38	Ministry of Human Resource Development

*Scheme came into existance during 95-96.

उत्तर प्रदेश में निराश्रित बच्चों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाएं

612. **प्रो० राम बख्श सिंह वर्मा:**
श्रीमती मालती शर्मा:

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में निराश्रित बच्चों के लिए कतिपय कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के लिए आबंटित राशि क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) से (ग) जी, हां। कल्याण मंत्रालय की चल रही निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में बेसहारा बच्चों को शामिल किया गया है:

योजनाओं का ब्यौरा	निर्मुक्त राशि 1994-95	1995-96	(रु० लाख में) 1996-97
1. बेसहारा बच्चों के कल्याण के लिए योजना इस योजना के अंतर्गत निराश्रित बच्चों की देखभाल और विकास के लिए पात्र स्वैच्छिक संगठनों को बुनियादी गैर-संस्थागत सेवाएं प्रदान करने के लिए 90% तक सहायता अनुदान दिया जाता है।	22.65	14.80	30.57
2. किशोर सामाजिक कुसंकमन निवारण एवं नियंत्रण की योजना इस योजना के अंतर्गत शिशु गृहों की स्थापना और देखभाल के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी	45.15	शून्य	शून्य

योजनाओं का ब्यौरा	निर्मुक्त राशि 1994-95	1995-96	(रु० लाख में) 1996-97
जाती है, जैसा कि किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है।			
3. समाज कल्याण के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों की सहायता की योजना। इस योजना के अंतर्गत वेश्याओं के बच्चों के पुनर्वास के लिए पात्र स्वैच्छिक संगठनों को 90% तक सहायता अनुदान दिया जाता है।	11.17	23.11	20.43

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग में और अधिक जातियों को सम्मिलित करने हेतु अभ्यावेदन

613. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत क्या है और इन वर्गों में सम्मिलित उप-जातियों के नाम क्या है;

(ख) क्या जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग में कुछ और जातियों को सम्मिलित करने की मांग की गई है;

(ग) क्या सरकार ने उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कोई प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या असम, त्रिपुरा और मणिपुर की तरह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को प्रतिवर्ष कुछ राशि प्रदान की जाती है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशतता क्रमशः 21.05 तथा 0.21 है। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कोई अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों सहित सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के रूप में क्रमशः 66 तथा 5 समुदाय विनिर्दिष्ट किए गए हैं। इन समुदायों के ब्यौरे विधि तथा न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग द्वारा प्रकाशित चुनाव विधि मैनुअल में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है **(नीचे देखिये)**

(ङ) और (च) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को प्रदान की गई निधियों को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

सरकार उत्तर प्रदेश राज्य सहित सम्पूर्ण देश में अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है:—

1. विशेष केन्द्रीय सहायता
2. अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान
3. स्वैच्छिक संगठनों को सहायता
4. राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगम को सहायता अनुदान
5. अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए होस्टल
6. अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए होस्टल
7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए पुस्तक बैंक
8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना
9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों की योग्यता का उन्नयन